तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भंवरसिंह बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार बालेसर) सू.अ.अ. अपील संख्या 250 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.21	अपीलार्थी भंवरसिंह पुत्र कोजसिंह राठौड़, पता ग्राम पोस्ट सेखाला त. सेखाला जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.09.20 में उसके द्वारा (अ) ग्राम पंचायत सेखाला पटवार मण्डल से सेखाला पटवारीयों का समय समय पर स्थानान्तररण होने पर निम्न आधार पर इनकी चार्जलिस्ट की छाया प्रतियां प्रमाणित दिरावे पटवारी (1)इंद्रसिंह सोढा द्वारा गणेशसिंह राजपुरोहित, (2)गणेशसिंह द्वारा मीरा मीणा को चार्ज देना, (3) मीरा मीणा द्वारा गणेशसिंह राजपुरोहित को चार्ज देना व (4)गणेशसिंह द्वारा गजेसिंह को चार्ज हस्तांरण की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2020 को आधी अधूरी व भ्रामक सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बालेसर) से जरिये पत्रांक 624 दिनांक 22.12.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केवल उपलब्ध सूचना दिये जाने का प्रावधान है, सूचना तैयार कर या संकलित कर दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी के आवेदन में चाही गई सूचना जो इस कार्यालय में उपलब्ध है जरिये पत्रांक सू.अ.अ./519 दिनांक 20.10.2020 प्रार्थी को प्रेषित किया गया। अपीलार्थी ने अपील में सूचना आधी अधुरी व भ्रामक देना बतलाया गया, परन्तु दी गई सूचना आधी अधुरी व भ्रामक होने का स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	